न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

R 892-I-17 (41)

प्र.कं /2017 पुनरीक्षण

हेमन्त कुमार पुत्र रतनलाल ब्राह्मण
निवासी ग्राम सोन्हर कृषक ग्राम नंदपुर
तहसील नरवर जिला शिवपुरी (म.प्र.)

.... आवेदक

श्री मुकेश शर्मा अभिभाषक
द्वारा आज दि. 15-3-17 को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1. राघवेन्द्र सिंह पुत्र पर्वत सिंह जाटव
निवासी नयागांव ग्राम नंदपुर (सरपंच) तह. नरवर
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

2. म.प्र. शासन

.... अनावेदगण

मुकेश शर्मा
15-3-17 हाईकोर्ट
ग्वालियर

न्यायालय तहसीलदार नरवर जिला शिवपुरी म.प्र. द्वारा प्रकरण कमांक 18/16–'17/अ–12 में पारित आदेश दिनांक 02.02.2017 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदनहै कि :–

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध, अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

2– यह कि, आवेदक के स्वत्व व आधिपत्य की आराजी ख.नं. 203 रकवा 3.33 है0 ग्राम नंदपुर प. हल्का नयागांव तहसील नरवर में स्थित है। इसी प्रकार ख.नं. 202 रकवा 0.07 है0. राजस्व अभिलेख में शासकीय दर्ज है। अनावेदक कं. 1 ग्राम पंचायत सरपंच ने आराजी ख.नं. 202 रकवा 0.07 है0 का सीमांकन कराने हेतु म.प्र. शासन को पक्षकार बनाकर तहसीलदार नरवर के

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 892–एक/2017 जिला–शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा ाकों आदि के हस्ताक्षर
22.1.19	आवेदक के अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव एवं अनावेदक के अधिवक्ता श्री बृजेन्द्र सिंह धाकड़ उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार नरवर जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 18/अ–12/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 02.02.17 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन द्वितीय अपील में पारित किसी आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी करैरा जिला शिवपुरी के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 29/03/19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 29/3/19 **अनुविभागीय अधिकारी करैरा जिला शिवुपरी**	